

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक-- पि०व०/ज०क०टा०छा०/नि०प्र०सं०-38-02/2020(खण्ड-1)- 13

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, बिहार।
(शेखपुरा, जमशुई, वैशाली, बेगुसराय, नवादा, पूर्णिया एवं नालन्दा को छोड़कर)

पटना, दिनांक-12/02/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों के संधारणार्थ कुल राशि रु० 31,52,100/- (रु० इकतीस लाख बावन हजार एक सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों के संधारणार्थ कुल राशि रु० 31,52,100/- (रु० इकतीस लाख बावन हजार एक सौ) मात्र संलग्न सूची के अनुसार आवंटित की जाती है।

2-कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष 0002-छात्रावासों का संधारण, विषय शीर्ष, 13.01-कार्यालय व्यय, 13.03-दुरभाष, 13.04-विद्युत प्रभार 21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ एवं 28.02-संविदा सेवाएँ विपत्र कोड सं०-11-2225-03-277-0002 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। निकासी की गई राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि व्यय होने के पश्चात् विभाग को भेजेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक व्यय दिनांक-31.03.2026 तक हो सके एवं व्यय की संभावना नहीं रहने पर शेष राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व विभाग को प्रत्यर्पित कर दिया जाय। जिस मद में राशि आवंटित की जा रही है, उसी मद में राशि का व्यय किया जाय। किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा एवं बैंक में संचित नहीं किया जायेगा।


5- प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6-प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7-इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दिया जा रहा है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,


(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-- पि०व०/ज०क०टा०छा०/नि०प्र०सं०-38-02/2020(खण्ड-1)-13 पटना, दिनांक-12/02/2026
प्रतिलिपि--(1) महालेखाकार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/उप सचिव, (बजट प्रभारी)/अवर सचिव (बजट प्रशाखा)/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई0टी0मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों के संधारणार्थ आवंटित राशि की विवरणी :-

वर्ष 2025-26

विपत्र कोड-11-2225-03-277-0002

क्र०सं०	जिला का नाम	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का नाम	1301 कार्यालय व्यय	1303 दुरभाष	1304 विद्युत प्रभार	2101 सामग्री एवं पूर्तियाँ	2802 संविदा सेवाएँ	योग
1	भागलपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास (बालक) टी०एन०बी० परिसर भागलपुर	25000		70000		125000	220000
		अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास (बालिका) विश्वविद्यालय परिसर भागलपुर	25000		70000		125000	220000
2	दरभंगा	राज हाई स्कूल छात्रावास, दरभंगा	0		70000	36000	125000	231000
3	पटना	अब्दुल कयूम अंसाही पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास रानीघाट पटना			70000	0	125000	195000
4	खगड़िया	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास कोशी कॉलेज खगड़िया।	0	6100	70000	36000	125000	237100
5	पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास पूर्वी चम्पारण मोतिहारी				5000		5000
6	जहानाबाद	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास जहानाबाद	0		70000		125000	195000
7	किशनगंज	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास डे मार्केट किशनगंज	25000			36000		61000
8	सुपौल	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास सुपौल			50000	36000	125000	211000
9	कटिहार	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास डी०सी० कॉलेज परिसर कटिहार	0			36000		36000
10	रोहतास (सासाराम)	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास मोकर रोहतास सासाराम	25000		70000	36000	125000	256000
11	मधेपुरा	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास मधेपुरा	25000		50000	36000	125000	236000
12	मुंगेर	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास मुंगेर	20000		70000	36000	125000	251000
13	भोजपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास भोजपुर	25000		70000	36000	125000	256000
14	कैमूर	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास कैमूर	0		50000	0	0	50000
15	समस्तीपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास समस्तीपुर	15000			36000	125000	176000
16	सहरसा	अन्य पिछड़ा वर्ग (बालिका) कल्याण छात्रावास, सहरसा	0		70000			70000
17	मधुबनी	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, मधुबनी	15000		70000	36000	0	121000
18	लखीसराय	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, किउल (खगौर) लखीसराय	0				125000	125000
योग-			200000	6100	920000	401000	1625000	3152100

कुल राशि (रु० इकतीस लाख बावन हजार एक सौ) मात्र

पत्रांक-13 दिनांक-12/02/26 का अनुलग्नक

सरकार के अपर सचिव।